APP-A
Crim-I

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट – लाम्बा

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार हुरडा

बनाम प्रतिभा पत्नि निकेश बरडिया
निवासी– गुलाबपुरा

किस्म मुकदमा– वाद पत्र अन्तर्गतग धारा – 177 रा.टी. ए.

प्रकरण संख्या– 2457 / 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2[illegible].06.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट लाम्बा पर पेश हुई। पैरोकारराज उपस्थित। वकील प्रतिवादी उपस्थित। उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से उभयपक्ष की बहस सूनी गई। वक्त बहस पैरोकारराज का कथन था कि ग्राम लाम्बा तहसील हुरडा कि आराजी नम्बर–1079 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिभा पत्नि निकेश बरडियॉ निवासी गुलाबपुरा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादीया के द्वारा उनके उक्त खातेदारी कृषि भूमि पर बिना रुपान्तरण करवाये बिना ही उक्त कृषि भूमि पर लघू उद्योग स्थापित कर संचालित किया जा रहा है, प्रतिवादीयॉ का उक्त कृत्य विधि विरुद्ध होने से उक्त कृषि भूमि को बिलानान राजकीय खाते में दर्ज करवाई जावें। जबकि वकील प्रतिवादीया का कथन था कि प्रतिवादीया के द्वारा उनके कृषि भूमि को अकृषि में रुपान्तरण करने हेतु नगरपालिका गुलाबपुरा में पूर्व में आवेदन प्रस्तुत कर रखा था, नगरपालिका के द्वारा दिनांक 22.03.2018 पट्टा विलेख जारी कर दिया गया है अतः वादपत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावें । मैनें उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है– वादी के द्वारा प्रस्तुत पर्चा मौका एवं पटवारी रिपोर्ट के अनुसार ग्राम लाम्बा की आराजी नम्बर– 1079 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर श्रीमति प्रतिभा पत्नि निकेश बरडिया साकिन गुलाबपुरा के द्वारा कृषि भूमि में बिना स्वीकृति लघू उद्योग संचालित किया जाना प्रकट आया है। यहॉ वादी का कथन है कि प्रतिवादीया के द्वारा उनके खातेदारी कृषि भूमि पर बिना अकृषि रुपान्तरण करवाये उक्त भूमि पर लघू उद्योग स्थापित कर संचालित करने से नियमों का उल्यंन	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

किया जा रहा है। अतः उक्त भूमि सिवाय चक बिलानाम राजकीय खाते में दर्ज करवाई जावें। इसके विपरीत प्रतिवादीया के द्वारा नगरपालिका गुलाबपुरा का पट्टा विलेख की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है। जिस अनुसार नगरपालिका गुलाबपुरा के द्वारा राजस्थान नगरीय क्षैत्र कृषि भूमि का गैर– कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम 2012 के निमय 22 के अन्तर्गत दिनांक 22.03.2018 को श्रीमति प्रतिभा जैन पत्नि निकेश बरडिया के पक्ष में ग्राम खारी का लाम्बा की आराजी नम्बर– 1079 जिसका क्षैत्रफल 2904 वर्गगज है का पट्टा विलेख जारी किया जाकर दिनांक 03.05.2018 को उप पंजीयक हुरडा से रजिस्टर्ड करवाया जाना प्रकट आया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीया के द्वारा वादग्रस्त कृषि आराजीयात का रुपान्तरण नगरपालिका गुलाबपुरा की पेराफेरी क्षैत्र में होने से नगरपालिका गुलाबपुरा के द्वारा भूमि का कृषि से अकृषि रुपान्तरण करवाया जाकर नियमानुसार पट्टा विलेख प्राप्त किया जा चूका है । तद्नुसार दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

" निर्णय"

दावा वादी खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को खुली अदालत में सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner